

**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
नई दिल्ली**

**9 जून, 2014**

**अधिसूचना**

**सं. एल-1/148/2014-केविविआ :** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(1) तथा 178(2) (यड) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**

- (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं:**

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:
  - (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी हैं, अभिप्रेत है;
  - (ख) 'आंकलन समिति' से भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएसडीएफ से निधियन के लिए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की पूर्विकता तथा पीएसडीएफ से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों, जो समनुदेशित किए जाएं, के प्रयोजनों के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
  - (ग) 'समुचित आयोग' से अधिनियम में यथा परिभाषित केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग तथा संयुक्त आयोग अभिप्रेत है;
  - (घ) 'संकुलन सहायता विनियम' से, समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 तथा उसके पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;
  - (ङ) 'ऊर्जा बाजार विनियम' से समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 तथा उसके पश्चात्वर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;
  - (च) 'संकुलन सहायता विनियम' का वही अर्थ है जो ऊर्जा बाजार विनियम के विनियम 33 में है;
  - (छ) 'संकुलन प्रभार' का वही अर्थ है जो संकुलन सहायता विनियम में है;
  - (ज) 'विस्तृत प्रक्रिया' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अनुसार तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पीएसडीएफ का प्रचालन करने वाली स्कीम के अनुसार पीएसडीएफ के कार्यान्वयन तथा प्रशासन के लिए मानीरटिंग समिति के अनुमोदन से, नोडल अभिकरण द्वारा तैयार की गई हो;

- (झ) 'विचलन व्यवस्थापन प्रभार' का वही अर्थ है जो विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम में है;
  - (ञ) 'विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम' से समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तथा संबंधित मामले) विनियम, 2014 तथा उसके पश्चात्पूर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;
  - (ट) 'ग्रिड संहिता' से समय समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 तथा उसके कोई पश्चात्पूर्ती अधिनियमिति अभिप्रेत है;
  - (ठ) 'मानीटरिंग समिति' से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति, पीएसडीएड से निधियां देना तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जो समनुदेशित किए जाएं, के प्रयोजनों में गठित की गई हो;
  - (ड) 'नोडल अभिकरण' से ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (क) में यथा पदाभिहित किया गया हो;
  - (ढ) 'पीएसडीएफ' से इन विनियमों के विनियम 3 के अधीन गठित ऊर्जा प्रणाली विकास निधि अभिप्रेत है;
  - (ण) 'रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार' का वही अर्थ हो जो ग्रिड संहिता में है।
- (2) यथापूर्वोक्त के सिवाय जब तक संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों पदों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वही होगा, जो क्रमशः अधिनियम या विनियम में है।
- (3) समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे संसद के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

### 3. निधि का गठन:

- (1) "ऊर्जा प्रणाली विकास निधि" या "पीएसडीएफ" नामक निधि का गठन किया जाएगा तथा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:-
- (क) संकुलन सहायता विनियम के अनुसार, ब्याज, यदि कोई हो, के साथ प्राप्त संकुलन प्रभारों को प्राप्त करने के लिए हकदार प्रादेशिक इकाइयों को संदेय रकम देने के पश्चात् 'संकुलन प्रभार खाता' के नाम में जमा संकुलन प्रभार;
  - (ख) ऊर्जा बाजार विनियम के अनुसार पावर एक्सचेंजों में बाजार विभाजन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमत में अंतर से प्रोद्भूत संकुलन रकम;
  - (ग) विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियम के अनुसार दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् "क्षेत्रीय विचलन पूल निधि खाता" के नाम में जमा अननुसूचित विनियम प्रभार;
  - (घ) ग्रिड संहिता के अनुसार रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार खाते के नाम में जमा आरएलडीसी रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार;

- (ड) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 तथा उसमें संशोधनों के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अग्रिम द्विपक्षीय संव्यवहारों की प्रक्रिया में सुभिन्न नीलामी से उद्भूत अतिरिक्त पारेषण प्रभार;
- (च) ऐसे अन्य प्रभार, जो केन्द्रीय आयोग, समय समय पर, अधिसूचित करे:
2. ऐसे अभिकरण, जो अपने-अपने विनियमों के अधीन संकुलन प्रभार, संकुलन रकम, संकुलन व्यवस्थापन प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो समय समय पर, आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएं, संगृहीत करने के लिए हकदार हैं, इस विनियम के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) के अधीन मासिक आधार पर या इस प्रकार की आवधिकता जो विस्तृत क्रियाविधि में दी गई है, निधियों में शेष रकमों को जमा करने के लिए अंतरण करेंगे।
  3. पीएसडीएफ को भारत के लोक लेखा के माध्यम से रखा तथा संचालित किया जाएगा। सभी रकमों, जो विनियम 3 के खंड (1) के अनुसार निधि में प्रोदभूत होंगी और निधि में संचित निधि किन्तु जो इस विनियम के जारी होने तक लोक लेखा में अंतरित न की गई हो, भारत के लोक लेखा में अंतरित की जाएगी।

#### 4. पीएसडीएफ का उपयोग:

पीएसडीएफ का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

- (क) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) तथा ऐसी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली, जो आईएसटीएस के आनुषंगिक हो, में संकुलन अवमुक्ति के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्रचालनात्मक फीडबैक पर आधारित सामरिक महत्व की पारेषण प्रणालियों;
- (ख) शंट कैपेसिटर्स, सीरीज कंप्नसेटर्स तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों, जिसमें ग्रिड में वोल्टता प्रोफाइल सुधार के लिए स्टैटिक वीएआर कंप्नसेटर (एसवीसी) तथा स्टैटिक समक्रमिक (संन्गक्रनाइजस) कंप्नसेटर (स्टैटकॉम) जैसे रिएक्टिव ऊर्जा समायोजन तथा डाइनेमिक रिएक्टिव सहायता भी है, की संस्थापना;
- (ग) विशेष संस्था स्कीम, पाइलट तथा प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं मानक संस्था स्कीमों की संस्थापना तथा क्षेत्रीय आधार पर संस्था संपरीक्षा में पहचानी गई विसंगतियों को उपवर्णित करने;
- (घ) संकुलन अवमुक्ति के लिए पारेषण प्रणाली का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एंड एम);
- (ड) तकनीकी अध्ययनों, क्षमता निर्माण, फेज (मापमान यूनिट (पीएमयू) आदि की संस्थापना जैसे अन्य उद्देश्यों को पूरा करने वाली कोई अन्य स्कीम/परियोजना;
- (2) पीएसडीएफ का उपयोग उपरोक्त ऐसे क्षेत्रों में वितरण उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के आनुषंगिक हो तथा ग्रिड की सुरक्षा से संबंधित हो परंतु यह कि ऐसी परियोजनाएं पुर्नसंरचित त्वरितता ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

(आरजीजीवीवाई)/राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) आदि जैसी भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम में सम्मिलित न हों।

- (3) निजी क्षेत्र की परियोजनाएं पीएसडीएफ से सहायता पाने के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (4) पूर्विकता मुख्यतः (i) ग्रिड सुरक्षा सरोकार को संबोधित करने; (ii) राष्ट्रीय महत्व; (iii) बहु-उपयोगिता/क्षेत्रीय/राज्य महत्व की; (iv) अंतर-राज्यिक प्रकृति की स्कीमों के मानदंड पर दी जाएगी।

#### 5. नोडल अभिकरण तथा उसके कृत्यः

- (क) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएनडीसी) इन विनियमों के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा।
- (ख) नोडल अभिकरण निम्नलिखित कृत्य करेगा:-
  - (i) मानीटरिंग तथा आंकलन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा;
  - (ii) मानीटरिंग समिति द्वारा, समय समय पर, अनुमोदित प्रक्रिया के अनुरूप पीएसडीएफ से निधि देने तथा संवितरित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा;
  - (iii) आंकलन समिति द्वारा मानीटरिंग समिति को प्रत्येक बैठक में किए गए कारबार का अभिलेख रखेगा;
  - (iv) बजट तैयार करने, पीएसडीएफ लोक लेखा से प्राप्तियों/संवितरणों का लेखांकन तथा मानीटरिंग समिति के अनुमोदन से लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा;
  - (v) पीएसडीएफ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
  - (vi) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो मानीटरिंग समिति तथा आंकलन समिति द्वारा सौंपे जाए।

#### 6. आंकलन समिति:

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (साईए) की अध्यक्षता में एक आंकलन समिति होगी जिसे संवीक्षा (तकनीकी आर्थिक आंकलन) एवं इन विनियमों के विनियम 4 के खंड (4) के अनुसार, पीएसडीएफ से निधियन तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए, जो मानीटरिंग समिति द्वारा सौंपे जाएं, विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को पूर्विकता देने के लिए भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा गठित किया जाएगा।

#### 7. मानीटरिंग समिति:

भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) मानीटरिंग समिति के रूप में ज्ञात सचिव (विद्युत) भारत सरकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी मानीटरिंग समिति गठित की जाएगी जिसमें सदस्यों के रूप में विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय), केन्द्रीय विद्युत अधिकरण (सीईए) तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पावर सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) समिति के सदस्य-सचिव होंगे। मानीटरिंग समिति

आंकलन समिति की सिफारिशों और केन्द्रीय आयोग की संसूचना के आधार पर मंजूरी के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं (या उनकी संशोधित लागत) पर विचार करेगी कि इस प्रकार की परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धान्तों के अनुसार हैं और उन्हें इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है। मानीटरिंग समिति द्वारा मंजूरी के आधार पर निधियों को विद्युत मंत्रालय के बजट से परियोजना इकाईयों को दिया जाएगा। समिति इसके द्वारा संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं मानीटर करेगी। पीएसडीएफ से दी गई निधियों को इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। परियोजना इकाईयों को संवितरण के लिए लोक लेखा से नोडल अभिकरण को निधियां अध्यपेक्षित व्यय नियंत्रण का प्रयोग करने के पश्चात् ही दी जाएंगी परंतु यह कि स्कीम में विद्युत मंत्रालय के अनुदान-मांगों के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया हो।

**8. पीएसडीएफ के प्रयोग, स्क्रीनिंग, आंकलन, मानीटरिंग, संस्वीकृति आदि के लिए प्रक्रिया:**

- (क) यथास्थिति, क्षेत्रीय विद्युत समितियां, उत्पादन कंपनियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संवितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्र, पावर एक्सचेंज, नोडल अभिकरण को परियोजनाओं, स्कीमों या गतिविधियों के आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) नोडल अभिकरण तकनीकी-आर्थिक संवीक्षा के लिए इन परियोजनाओं या स्कीम या गतिविधियों को आंकलन समिति के समक्ष रखेगा।
- (ग) प्रस्तावों की संवीक्षा करने के बाद आंकलन समिति अपनी आंकलन रिपोर्ट तथा सिफारिशें लिखित में केन्द्रीय आयोग को और उस परियोजना इकाई को प्रस्तुत करेगी, जिसने प्रस्ताव भेजा है।
- (घ) नोडल अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आंकलन समिति की सिफारिशों सहित केन्द्रीय आयोग के पास आएगा कि परियोजना/स्कीम/गतिविधियां इन विनियमों के कार्यक्षेत्र में हैं।
- (ङ) इस प्रकार के संदर्भ की प्राप्ति पर केन्द्रीय आयोग, ऐसा संदर्भ प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा अर्थात्:
  - (i) क्या प्रस्तावित परियोजनाएं/स्कीम/गतिविधियां इन विनियमों में परिभाषित प्रयोजनों के अनुसार हैं;
  - (ii) क्या प्रस्तावित स्कीम/स्कीमों को इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है।
- (च) यदि इस विनियम के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया गया है तो केन्द्रीय आयोग नोडल अभिकरण को इस बात की सूचना देगा कि प्रस्तावित परियोजनाएं इन विनियमों में परिभाषित सिद्धान्तों के अनुसार हैं और इन विनियमों में दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता दी गई है।
- (छ) केन्द्रीय आयोग, इस प्रक्रम पर, परियोजना लागत के ब्यौरों की जांच नहीं करेगा जिसकी जांच समुचित आयोग द्वारा अन्य बातों के साथ साथ, परियोजना इकाई द्वारा टैरिफ याचिका के दाखिल करने के समय पर ही की जाएगी कि इस प्रकार की ऐसी परियोजना/स्कीम के संबंध में टैरिफ का टीएसडीएफ से अनुदान के भाग के लिए दावा नहीं किया गया है।
- (ज) केन्द्रीय आयोग से इस संबंध में प्राप्त संसूचना के आधार पर नोडल अभिकरण पीएसडीएफ से निधि की मंजूरी के लिए मानीटरिंग समिति से संपर्क करेगा।

## 9. सहायता पद्धति:

निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निधियन को अनुदान रूप में दिया जाएगा। अनुदान की मात्रा परियोजना के सामरिक महत्व और आकार पर निर्भर करेगी और इस पर इन विनियमों के अनुसार देने के लिए विचार किया जाएगा। इस संबंध में, मानीटरिंग समिति द्वारा विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किए जाएंगे।

## 10. आस्तियों का निष्पादन, परिचालन और रखरखाव:

परियोजना इकाई इसके उपयोगी काल के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन तथा परिचालन एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। परियोजना/स्कीम का परिचालन एवं रखरखाव, समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रिफ में निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 या उसके किसी पश्चात् अधिनियमिति के अनुसार शासित होंगे।

## 11. बजट, लेखा एवं अन्य अभिलेखों को तैयार करना :

बजट तैयार करने, पीएसडीएफ लोक लेखा से प्राप्ति/संवितरणों का लेखा, उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लेखा परीक्षा, आदि इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया में दिए गए उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।

## 12. परियोजनाओं/स्कीमों का कार्यान्वयन, मानीटरिंग और नियंत्रण:

- (क) क्षेत्रीय विद्युत समितियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संवितरण अनुज्ञप्तिधारी, भार प्रेषण केन्द्रों, पावर एक्सचेंजों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) अंतःराज्यिक प्रणालियों के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू), जो आईएसटीएस के आनुषंगिक हैं, कार्यान्वयन अभिकरण होंगी।
- (ख) आंकलन समिति विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, परियोजना/स्कीम के अंतर्गत निधिपोषित परियोजनाओं की प्रत्येक प्रवर्ग के लिए मात्रा योग्य वित्तीय एवं तकनीकी निष्कर्ष (आउटकम) पैरामीटरों के उद्देश्य को अधिकथित करते हुए, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करेगी।
- (ग) मानीटरिंग समिति तैयार तंत्र, जो उक्त खंड (ख) तक सीमित नहीं है, के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा मानीटर करेगी।

## 13. वार्षिक रिपोर्ट:

तुलन पत्र एवं संपरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं को शामिल करते हुए निधि की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और जिसकी सूचना केन्द्रीय आयोग को भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के माध्यम से दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

## 14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति:

यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम तथा और उसके अधीन बनाए गए ऐसे विनियमों को, जो इन विनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, से सुसंगत हों।

#### 1 5. निरसन और व्यावृत्तियां:

- (क) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 निरसित किए जाते हैं।
- (ख) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या आशयित कोई बात जिसमें कोई प्रक्रिया, मिनट, वार्षिक रिपोर्ट, पुष्टि या उद्घोषणा या निष्पादित कोई लिखत भी है, इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन की गई या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

हस्ता/-  
(शुभा शर्मा)  
सचिव